रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2641] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2016/कार्तिक 16, 1938
No. 2641] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2016/KARTIKA 16, 1938

IndiaCode

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

का.आ. 3396(अ).—सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठित सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, एतद्वारा एक सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जिसे इसके आगे 'वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2015-16' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, के माध्यम से नीचे दी गई अनुसूची-I में उल्लिखित ब्योरे के अनुसार विनिर्माण तथा इससे संबंधित कार्यकलापों के बारे में आंकड़े एकत्र करने का निदेश देता है:

2. इसके अलावा, मंत्रालय उक्त निदेश के संदर्भ में नीचे दी गई अनुसूची-II में उल्लिखित व्यक्तियों और साथ ही कार्यालय में उनके नामितियों को, उसमें दी गई भौगोलिक इकाइयों के संबंध में सांख्यिकी अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है।

3. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रत्येक सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन, तत्संबंधी रिकॉर्डों की जांच, और जब भी आवश्यक हो स्पष्टीकरण मांगने के लिये, सांख्यिकी अधिकारी के कार्यक्षेत्र में नियुक्त किये जाएंगे । प्रत्येक व्यक्ति फोटो पहचान पत्र अथवा संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेगा।

4. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2015-16 के संबंध में सूचनादाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना जिसे भाग-I में सांख्यिकी के रूप में एकत्र किया गया है, के विधिवत सत्यापन और जांच के बाद, इसका उप महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध), कोलकाता के कार्यालय में तथा तदंतर भाग-II में संग्रहित आंकड़ों का, श्रम ब्यूरो में कार्यरत अधिकारियों द्वारा संसाधन किया जाएगा।

5. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2015-16 से सम्बंधित किसी भी कार्यकलाप में लगे सभी व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) और सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगे। इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धाराओं (4) अथवा (6) के तहत किसी भी सांख्यिकी अधिकारी को कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है

अनुसूची-I

सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन :

1. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2015-16 के माध्यम से संगठित विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि, संरचना और ढांचे जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित कार्यकलाप, मरम्मत सेवाएं, गैस और जलापूर्ति तथा कोल्ड स्टोरेज से संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं, के बारे में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र :

2. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2015-16 जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़ कर पूरे भारत में आयोजित किया जा रहा है। जम्मू व कश्मीर में वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2015-16 जम्मू व कश्मीर सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2010 और जम्मू व कश्मीर सांख्यिकी संग्रहण नियमावली 2012 के तहत किया जाएगा।

आंकड़ा संग्रहण की पद्धति :

3. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले सूचनादाताओं को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें सूचना देने की तारीख, जिसे सूचना दी जानी है उस अधिकारी अथवा कार्यालय का नाम, जिस इकाई अथवा जिन इकाइयों के बारे में सूचना दी जानी है, उसका ब्यौरा और वह प्रपत्र जिसमें सूचना दी जानी है, का विवरण दिया जाएगा। सांख्यिकी अधिकारी ऐसी अन्य शर्तों के अधीन, जिन्हें वह नोटिस में स्पष्ट करेगा, सूचनादाता को निर्धारित सूचना को वेब पोर्टल के जरिए इलैक्ट्रानिक फॉर्मेट में फाइल करने की अनुमति दे सकता है।

सूचनादाताओं का स्वरूप जिनसे आंकड़े एकत्र किए जाने हैं:

4. इकाई [यानी फैक्टरी अथवा बिजली या गैस या जलापूर्ति करने वाले उद्यम अथवा बीड़ी एवं सिगार कामगार (रोजगार की परिस्थितियां) अधिनियम, 1966 के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठान] का मालिक अथवा दखलदार, जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, इकाइयों के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा।

5. सांख्यिकी अधिकारी ऐसी अन्य शर्तों जिन्हें वह नोटिस में स्पष्ट करेगा, के अधीन मालिक अथवा दखलदार से एकल प्रबंधन के तहत उन दो अथवा अधिक इकाइयों के बारे में समेकित सूचना उपलब्ध कराने की अनुमति दे सकता, जिनके बारे में प्रत्येक इकाई के अनुसार अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है।

सांख्यिकी संग्रहण का कार्य सम्पन्न करने की अवधि:

6. प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तारीख नोटिस में उल्लिखित की जाएगी और यह आमतौर पर अक्तूबर, 2016 से जून, 2017 के बीच होगी।

IndiaCode

संदर्भ अवधि:

7. प्रस्तुत की जाने वाली सूचना, 01 अप्रैल, 2015 से शुरू होने वाले और 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अथवा इकाई के लेखांकन वर्ष, जो 01 अप्रैल, 2015 और 31 मार्च, 2016 के बीच किसी भी तारीख को समाप्त होता है, के बारे में होगी ।

एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति:

8. अपेक्षित सूचना के दो भाग हैं । भाग-I परिसम्पत्तियों और देयताओं, रोजगार तथा श्रम लागत, प्राप्तियां, व्यय, निवेश की मदें-देशी अथवा आयातित, उत्पाद और उप-उत्पाद, वितरण संबंधी व्यय आदि से संबंधित सूचना के बारे में है । भाग-II श्रम सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं, नामत:, कार्यदिवस, श्रम दिवस जिनमें कार्य हुआ, अनुपस्थिति, श्रम कारोबार, श्रम के घंटे जिनमें कार्य हुआ, आय तथा सामाजिक सुरक्षा लाभ से संबंधित सूचना के बारे में है ।

भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना दी जानी है:

9. सूचनादाता निर्धारित प्रपत्र में हिंदी अथवा अंग्रेजी में सूचना उपलब्ध कराएगा ।

सूचनादाता का दायित्व:

10. इकाई का मालिक या दखलदार संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में दिए गए तरीके से और तारीख तक सूचना उपलब्ध कराएगा । वह सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर अपेक्षित सूचना के संबंध में निरीक्षण के लिए तत्संबंधी रिकार्ड उपलब्ध कराएगा और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देगा ।

निरीक्षण किए जाने वाले कारोबारी रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्डों की प्रकृति:

11. सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के समर्थन में उस इकाई के कारोबार रिकार्ड जैसे कि बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, मस्टर रोल, उपस्थिति रजिस्टर, श्रम रजिस्टर, वेतन नामावली, निदेशक की रिपोर्ट अथवा कोई अन्य कानूनी दस्तावेज की जांच कर सकता है ।

निरीक्षण का तरीका:

12. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई के कारोबार रिकार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की पुष्टि कर सकता है और संबंधित मालिक अथवा दखलदार या इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है ।

अनुसूची - II

क्रम सं.	सांख्यिकीय अधिकारी	कार्यक्षेत्र	पता
1.	श्री हरबिन्दर सिंह उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश	एनएसएसओ (एफओडी), छठा तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-9ए, चंडीगढ़-160017.
2.	श्री इंद्रजीत सिंह उप महानिदेशक, एफओडी मुख्यालय, नई दिल्ली	पंजाब	एनएसएसओ (एफओडी), ईस्ट ब्लॉक-6, लेवल-4, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
3.	श्री हरबिन्दर सिंह उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़	हरियाणा और चंडीगढ़ (संघ राज्यक्षेत्र)	एनएसएसओ (एफओडी), छठा तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-9ए, चंडीगढ़-160017.

4.	श्री पी.के.डे. उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	दिल्ली	एनएसएसओ (एफओडी), ईस्ट ब्लॉक-6, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
5.	श्री एस.एल. मेनारिया उप महानिदेशक, आंचलिक कार्यालय, जयपुर	राजस्थान	एनएसएसओ (एफओडी), 55 केशव नगर, लेन 3, हवा सड़क, जयपुर-302019.
6.	श्री अहमद अयूब बी. उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलूरू	कर्नाटक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप (संघ राज्यक्षेत्र)	5वां तल, ई&एफ विंग, केंद्रीय सदन, 17मेन-दूसरा ब्लॉक, कोरामंगला, बंगलूरू-560034.
7.	सुश्री उषा प्रहलाद पॉल निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा	गोवा	एनएसएसओ (एफओडी), गोवा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पोरोवोरिम, टी.क्यू. बार्डेज, पणजी, गोवा-403521
8.	श्री एन.के.शर्मा उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई	तमिलनाडु, पुडुचेरी (संघ राज्यक्षेत्र)	एनएसएसओ (एफओडी), 'बी' विंग, दूसरा तल, III ब्लॉक, शास्त्री भवन, हर्दोस रोड, नंगमबक्कम, चेन्नई-600006
9.	श्री एम.मधुसूदनन उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय तिरूवनंतपुरम	केरल और लक्षद्वीप	एनएसएसओ (एफओडी), ब्लॉक बी, भूतल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, पुनकुलम, वेलाइनी, पीओ, त्रिवेन्द्रम-695522.
10.	श्री पी.वी.आर. प्रसाद उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	एनएसएसओ (एफओडी), 293/7, प्रथम तल, आर एण्ड बी कॉम्प्लेक्स, महावीर मार्ग, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद-500004.
11.	श्री सुप्रिया मुखर्जी उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	एनएसएसओ (एफओडी), पांचवां तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ऑटो नगर, विजयवाडा-520007 सी-15, सेक्टर-1, डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून-248001
12.	श्री ए.के. मिश्रा उप महानिदेशक, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ	उत्तर प्रदेश और बिहार	एनएसएसओ (एफओडी), सर्वेक्षण भवन, सेक्टर-11, आईएनएस-IV, विकास नगर, रिंग रोड, लखनऊ-226022
13.	श्री घनश्याम निदेशक, एफओडी मुख्यालय, नई दिल्ली	उत्तराखंड	एनएसएसओ (एफओडी), ईस्ट ब्लॉक-6, लेवल-6, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066
14.	श्री सुसांत कुमार जाना उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	मध्य प्रदेश	एनएसएसओ (एफओडी), विजय स्तंभ, हॉल नं. 201 & 205, ब्लॉक बी. दूसरा तल, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल-462011
15.	श्री के.पी. मिश्रा निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय सम्बलपुर	ओडिशा	एनएसएसओ (एफओडी), 161, सेन पार्क लेन, गोल बाजार, पायापाडा, सम्बलपुर-768001
16	श्री ए.के. बिस्वास उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता	पश्चिम बंगाल	एनएसएसओ (एफओडी), सीजीओ कॉम्प्लेक्स, दूसरा तल, ई विंग, सेक्टर-1, बी 1, डीएफ, साल्ट लेक, कोलकाता-700064.
17.	श्री एम.मल्लिक उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची	झारखंड	एनएसएसओ (एफओडी), आत्माराम भवन, तीसरा तल, बंगला स्कूल लेन, महाबीर मंदिर के पीछे, मेन रोड, रांची-834001.

IndiaCode

18.	श्री आसिस रे उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश	एनएसएसओ (एफओडी), तीसरा तल, सी ब्लॉक, बी विंग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, बशिष्ट रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006.
19.	डा. बी.बी.सिंह उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय अगरतला	त्रिपुरा, मिजोरम	एनएसएसओ (एफओडी), श्री राम विल्ला, एसबीआई के नजदीक, पीओ कुंजाबन, अगरतला-799006
20.	श्री बी.एस.छाबड़ा उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय इम्फाल	मणिपुर	एनएसएसओ (एफओडी), सगोलबंध तेरा सपम, लीराक, मणिपुर ग्रामीण संस्थान के नजदीक, पी.ओ. इम्फाल, इम्फाल-795001
21.	श्री एम.एम.सिंह निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कोहिमा	नागालैंड	एनएसएसओ (एफओडी), एजी अपलैंड कॉलोनी, लेरई बेपटिस्ट चर्च के सामने, एनएच-39, इम्फाल रोड, कोहिमा-797001
22.	श्री संजय कुमार उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय शिलांग	मेघालय	एनएसएसओ (एफओडी), ओकलैंड रोड, शिलांग-793001
23.	श्री अतानुसाशन बासु उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, गंगटोक	सिक्किम	एनएसएसओ (एफओडी), रिनझिंग बिल्डिंग, गैरी गांव,डाकघर-तदांग, गंगटोक-737102
24.	श्री ए.के.तोपरानी उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई	महाराष्ट्र	एनएसएसओ (एफओडी), चौथा तल, ए-2/3 विंग, कोंकण भवन के निकट, सीजीओ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सीबीडी बेलापुर, नवी मुम्बई-400614.
25.	श्री राजीव शर्मा उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	गुजरात, दादरा और नगर हवेली (संघ राज्यक्षेत्र) व दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्र)	एनएसएसओ (एफओडी), अर्बन हेल्थ सेंटर के निकट, नारायणपुरा पुलिस स्टेशन के पीछे, पुरूषोत्तम नगर, नवा वेडास, अहमदाबाद-380013
26.	श्री ई.वी.गंगाधर राव उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	छत्तीसगढ़	एनएसएसओ (एफओडी), प्रथम तल, सूर्या अपार्टमेंट, नेताजी चौक, कटोरा तालाब, रायपुर-492001

[फा. सं. पी-11012/3/2011-ईएसडी]

जी.एस. लक्ष्मी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2016

S.O. 3396 (E).—In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Ministry of Statistics & Programme Implementation hereby directs Collection of Statistics on manufacturing and related activities through a statistical survey, hereinafter referred to as 'the Annual Survey of Industries 2015-16', as per the details mentioned in the Schedule-I given below:

IndiaCode

2. The Ministry further appoints the persons as also their assignees in office, mentioned in the Schedule II given below as Statistics Officers in respect of the geographical units mentioned thereof with reference to the aforesaid direction.

3. The persons authorized by the concerned Statistics Officer would be engaged in the jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary. Each person would carry a photo identity card or a letter of authorisation issued by the concerned Statistics Officer.

4. The statistics collected in Part I of Annual Survey of Industries (ASI) schedule in respect of the ASI 2015-16 furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at the Office of the Deputy Director General, Central Statistics Office (Industrial Statistics Wing), Kolkata and the statistics collected in Part II of the ASI schedule thereof will be processed by officials working at the Labour Bureau.

5. All the persons engaged in any activity in respect of the Annual Survey of Industries 2015-16 are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) and the Collection of Statistics Rules, 2011. No power has been delegated to any Statistics Officer under sub-sections (4) or (6) of Section 4 of the Act.

SCHEDULE-I

Subject and purpose for collection of statistics:

1. Statistics relating to growth, composition and structure of organized manufacturing sector comprising activities related to manufacturing processes, repair services, gas and water supply and cold storage is collected through Annual Survey of Industries 2015-16.

Geographical area for collection of statistics:

2. The Annual Survey of Industries 2015-16 is conducted in the whole of India, except the State of Jammu & Kashmir under the Collection of Statistics Act, 2008. In Jammu and Kashmir, Annual Survey of Industries 2015-16 will be conducted under the J&K Collection of Statistics Act, 2010 and J&K Collection of Statistics Rules, 2012.

Method of data collection:

3. A Notice will be issued by each Statistics Officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats in which information is required to be furnished. A Statistics Officer may permit an informant to file the prescribed information in electronic form through a web-portal, subject to such other conditions that he may specify in the notice.

Nature of informants for whom data may be collected:

4. The owner or occupier of a unit [i.e. a factory or electricity or gas or water supply undertaking or an establishment registered under the Beedi & Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966] who would be issued notice by a Statistics Officer shall furnish information about the unit.

5. A Statistics Officer may require an owner or occupier to furnish consolidated information in respect of two or more units under single management in case information is not separately available for individual units and subject to such other conditions, as he may specify, in the notice.

Period during which collection of statistics may be completed:

6. The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and it would generally fall during October 2016 to June 2017.

Reference period:

7. Information is required to be furnished for the Financial Year commencing from 1st April 2015 and ending on 31st March 2016 or for the Accounting Year of a unit ending on any date between 1st April 2015 and 31st March 2016.

Nature of information to be collected:

8. The information required has two parts. Part- I relates to information on assets and liabilities, employment and labour cost, receipts, expenses, input items – indigenous and imported, products and by-products, distributive expenses, etc. Part- II relates to information on different aspects of labour statistics, namely, working days, man-days worked, absenteeism, labour turnover, man-hours worked, earning and social security benefits.

Language in which information is to be furnished by informant:

9. An informant shall furnish information in the prescribed formats, either in Hindi or in English.

Obligation of informant:

10. An owner or occupier of a unit shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorized by him.

Nature of business records and other records which may be inspected:

11. Business records of a unit, such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance registers, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

The manner of inspection:

12. The concerned Statistics Officer or a person authorized by him may verify the information furnished by a unit on the basis of business records and other records of the unit and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorized by the management of the unit.

S. No.	Statistics Officer	Jurisdiction	Address
1	Sh. Harbinder Singh DDG, RO, Chandigarh.	Himachal Pradesh	NSSO(FOD), 6th floor, Kendriya Sadan, Sec-9-A, Chandigarh-160017
2	Sh. Inderjeet Singh DDG, FOD Hqrs. New Delhi.	Punjab	NSSO (FOD), East Block-6, Level-4, R.K. Puram, New Delhi-110066.
3	Sh. Harbinder Singh DDG, RO, Chandigarh.	Haryana & Chandigarh (UT)	NSSO (FOD), 6th floor, Kendriya Sadan, Sec-9-A, Chandigarh-160017
4	Sh. P. K. De DDG, RO, Delhi.	Delhi	NSSO (FOD), East Block-6, R.K. Puram, New Delhi-110066.
5	Sh. S. L. Menaria DDG, ZO, Jaipur.	Rajasthan	NSSO (FOD), 55 Keshav Nagar, Lane no. 3, Hawa Sadak, Jaipur-302019.
6	Sh. Ahmed Ayub B. DDG, RO, Bengaluru.	Karnataka, Andaman & Nicobar Islands (UT)	5th Floor, E&F Wing, Kendriya Sadan, 17 Main-2nd Block, Koramangala, Bengaluru-560034
7	Ms. Usha Pralhad Pol Director, RO, Goa.	Goa	NSSO (FOD), Goa Housing Board Colony, Porovorim, Tq. Bardez, Panaji, Goa-403521.
8	Sh. N. K. Sharma DDG, RO, Chennai.	Tamil Nadu, Puducherry (UT)	NSSO (FOD), 'B' Wing, II Floor, III Block, Shastri Bhawan, Haddows Road, Nungambakkam, Chennai-600006.
9	Sh. M. Madhusudanan DDG, RO, Thiruvananthapuram.	Kerala & Lakshadweep	NSSO (FOD), Block B, Ground Floor, CGO Complex, Poonkulam, Vellayani P.O., Trivandrum-695522.
10	Sh. P.V.R. Prasad DDG, RO, Hyderabad.	Telangana	NSSO (FOD), 293/7, Ist floor, R & B Complex, Mahavir Marg, A.C. Guards, Hyderabad-500004.
11	Sh. Supriya Mukherjee DDG, RO, Vijayawada.	Andhra Pradesh	NSSO (FOD), 5th Floor, CGO Complex, Auto Nagar, Vijaywada-520007.
12	Sh. A.K. Mishra DDG, ZO, Lucknow.	Uttar Pradesh and Bihar	NSSO (FOD), Sarvekshan Bhavan, Sector-11, INS-IV, Vikas Nagar, Ring Road, Lucknow-226022.
13	Sh. Ghan Shyam Director, FOD Hqrs., New Delhi.	Uttarakhand	NSSO (FOD), East Block-6, Level-6, R.K. Puram, New Delhi-110066.
14	Sh. Susanta Kumar Jana DDG, RO, Bhopal.	Madhya Pradesh	NSSO (FOD), Vijay Stambh, Hall No. 201 & 205, Block-B, 2nd Floor, M.P. Nagar Zone-I, Bhopal-462011.
15	Sh. K.P. Mishra Director, RO, Sambalpur.	Odisha	NSSO (FOD), 161, Sen Park Lane, Gole Bazar, Nayapada, Sambalpur-768001.

India Code

16	Sh. A.K. Biswas DDG, RO, Kolkata	West Bengal	NSSO (FOD), CGO Complex, 2nd Floor, E-Wing, Sector-I, Bl. DF, Salt Lake, Kolkata-700064.
17	Sh. M. Mallick DDG, RO, Ranchi	Jharkhand	NSSO (FOD), Atma Ram Bhawan, IIIrd Floor, Bangla School Lane, Behind Mahabir Temple, Main Road, Ranchi-834001.
18	Sh. Asis Ray DDG, RO, Guwahati	Assam, Arunachal Pradesh	NSSO (FOD), 3rd Floor, C-Block, B-Wing, Housefed Complex, Basistha Road, Dispur, Guwahati-781006.
19	Dr. B.B. Singh DDG, RO, Agartala	Tripura, Mizoram	NSSO (FOD), Sree Ram Villa, Near SBI, PO Kunjaban, Agartala-799006
20	Sh. B.S. Chhabra DDG, RO, Imphal	Manipur	NSSO (FOD), Sagolband Tera Sapam, Leirak, Near Manipur Rural Institute, P.O. Imphal, Imphal-795001.
21	Sh. M.M. Singh Director, RO, Kohima	Nagaland	NSSO (FOD), AG Upland Colony, Opp. Larie Baptist Church, NH-39, Imphal Road, Kohima-797001.
22	Sh. Sanjay Kumar DDG, RO, Shillong	Meghalaya	NSSO (FOD), Oakland Road, Shillong-793001.
23	Sh. Atanusashan Basu DDG,RO, Gangtok	Sikkim	NSSO(FOD), Rinzingh Building, Gairi Gaon, Post Office-Tadong, Gangtok-737102.
24	Sh. A. K. Toprani DDG, RO, Mumbai	Maharashtra	NSSO (FOD), 4th Floor, A-2/3 Wing, Near Konkan Bhawan, CGO Complex Building, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.
25	Sh. Rajiv Sharma DDG, RO, Ahmedabad	Gujarat, Dadra and Nagar Haveli (UT) & Daman and Diu (UT)	NSSO (FOD), Near Urban Health Centre, Behind Narayanpura Police Station, Purshotam Nagar, Nava Vadas, Ahemdabad-380013.
26	Sh. E.V. Gangadhar Rao DDG, RO, Raipur	Chhattisgarh	NSSO(FOD), 1st Floor, Surya Apartment Netaji chowk, Katora Talab, Raipur-492001

[F. No. P-11012/3/2011-ESD]

G. S. LAKSHMI, DDG

indiacode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.11.09 12:57:44 +05'30'